

संख्या-199/दो-4-2023-53(2)/2018

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 17 अप्रैल, 2023

विषय:- श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी-॥ तत्कालीन अपर जिला जज, फैजाबाद, सम्प्रति अपर जिला जज, अनूपशहर-बुलन्दशहर की पुत्री की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक / संयुक्त निबन्धक, एडमिन ए-1, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-12184/IV-3582/एडमिन-ए-1 सेक्शन., दिनांक 01.10.2021 एवं पत्र संख्या-16477/IV-3582/एडमिन-ए-1 सेक्शन., दिनांक 22.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो चिकित्सा अग्रिम रू0 23,75,000/- (रू0 तेईस लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 8,75,353/- (रू0 आठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तीरपन मात्र) एवं रू0 12,88,764/- (रू0 बारह लाख अठासी हजार सात सौ चौसठ मात्र) को स्वीकृत / समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी-॥ की पुत्री की चिकित्सा पर व्यय धनराशि से संबंधित चिकित्सा दावा रू0 8,75,353/- (रू0 आठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तीरपन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावा रू0 8,75,353/- (रू0 आठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तीरपन मात्र) से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित है।

3- उल्लेखनीय है कि श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी-॥ की पुत्री बेबी अम्बा तिवारी की चिकित्सा हेतु शासन के पत्र संख्या 377/दो-4-2019-53(2)/2018, दिनांक 16.08.2019 द्वारा चिकित्सा अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 23,75,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- उक्त चिकित्सा अग्रिम के सापेक्ष नियुक्ति अनुभाग-4 के पत्र संख्या- 1025/दो-4-2022-53(2)/2018, दिनांक 05.01.2023 द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 12,88,764/- (रू0

बारह लाख अट्ठासी हजार सात सौ चौसठ मात्र) एवं उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 8,75,353/- (रू0 आठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तिरपन मात्र) तथा विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर स्वीकृत किये गये / किये जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनराशि रू0 67,848/-, रू0 59,380/- एवं रू0 79,794/- कुल धनराशि रू0 23,71,139/- (धनराशि रू0 12,88,764+ 8,75,353 + 67,848 + 59,380 +79,794) को चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 23,75,000/- में समायोजित करते हुए अन्तर धनराशि रू0 3,861/- (रू0 23,75,000 - रू0 23,71,139 = रू0 3,861) श्री जान प्रकाश तिवारी- II से प्राप्त / वसूल कर कोषागार में अवश्य जमा करा दी जाय।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोक्त (सम्बन्धित बिल बाउचर्स मूलरूप में)।

Signed by सुनील कुमार

Date: 17-04-2023 17:14:48

Reason: Approved

भवदीय,

(सुनील कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या-199(1)/दो-4-2023, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- जनपद न्यायाधीश, अनूपशहर-बुलंदशहर।
- 3- कोषाधिकारी, अनूपशहर-बुलंदशहर।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, प्रयागराज।
- 5- श्री जान प्रकाश तिवारी-II तत्कालीन अपर जिला जज, फैजाबाद, सम्प्रति अपर जिला जज, अनूपशहर - बुलन्दशहर।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)

विशेष सचिव।

आदेश

उ.प्र. शासन के चिकित्सा अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2275/पांच - 6 - 2011 - 1082 / 87 दिनांक 20.09.2011 (चिकित्सा परिचर्या नियमावली) तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3545/Ve-4/Admin. D-Section, Dated : 14.03.2023, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या के पत्रांक - मु0चि0अ0/मेडि0-प्रति0/2017-18/454 दिनांक : 05.02.2021, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 199/दो-4-2023-53(2)/2018, दिनांक 17.04.2023 के प्रस्तर 4 तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की आख्या दिनांक 26.06.2023 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को उनकी आश्रित पुत्री कुमारी अम्बा की चिकित्सा (17.08.2019 से 21.08.2019) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अंकन 67,848/- (सहस्र हजार आठ सौ अड़तालिस रुपये) की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि का समायोजन श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा प्राप्त चिकित्सा अग्रिम की धनराशि अंकन रूपया 23,75,000/- से किया जाये।

(पंकज कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
26.06.2023

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, प्रयागराज।
3. श्रीमान् महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. लेखानुभाग, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
5. जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।
6. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
7. कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

(पंकज कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
26.06.2023

Pankaj Kumar Singh
District Judge
Bulandshahr

आदेश

उ.प्र. शासन के चिकित्सा अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2275/पांच
- 6 - 2011 - 1082 / 87 दिनांक 20.09.2011 (चिकित्सा परिचर्या नियमावली) तत्पश्चात
माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3545/Ve-4/Admin. D-Section, Dated : 14.03.2023, मुख्य
चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या के पत्रांक - मु0चि0अ0/मेडि0-प्रति0/2017-18/455 दिनांक :
05.02.2021, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 199/दो-4-2023-53(2)/2018, दिनांक 17.04.2023 के
प्रस्तर 4 तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की आख्या दिनांक
26.06.2023 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी II, अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को उनकी आश्रित पुत्री कुमारी अम्बा की चिकित्सा
(17.08.2019 से 06.09.2019) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अंकन 59,380/- (उनसठ हजार
तीन सौ अस्सी रूपये) की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि का समायोजन श्री ज्ञान
प्रकाश तिवारी द्वारा प्राप्त चिकित्सा अग्रिम की धनराशि अंकन रूपया 23,75,000/- से किया
जाये।

(पंकज कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
26.06.2023

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, प्रयागराज।
3. श्रीमान् महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. लेखानुभाग, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
5. जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।
6. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
7. कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

(पंकज कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
26.06.2023

Pankaj Kumar Singh
District Judge
Bulandshahr

आदेश

उ.प्र. शासन के चिकित्सा अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2275/पांच - 6 - 2011 - 1082 / 87 दिनांक 20.09.2011 (चिकित्सा परिचर्या नियमावली) तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3545/Ve-4/Admin. D-Section, Dated : 14.03.2023, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या के पत्रांक - मु0चि0अ0/मेडि0-प्रति0/2017-18/451 दिनांक : 05.02.2021, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 199/दो-4-2023-53(2)/2018, दिनांक 17.04.2023 के प्रस्तर 4 तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की आख्या दिनांक 26.06.2023 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को उनकी आश्रित पुत्री कुमारी अम्बा की चिकित्सा (11.09.2019 से 19.09.2019) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अंकन 79,794/- (उनासी हजार सात सौ चौरानवे रुपये) की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि का समायोजन श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा प्राप्त चिकित्सा अग्रिम की धनराशि अंकन रूपया 23,75,000/- से किया जाये। वर्तमान दावे की धनराशि अंकन रूपया 79,794/- का समायोजन किये जाने के पश्चात्, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 199 दिनांक 17.04.2023 के अनुसार शेष चिकित्सा अग्रिम धनराशि अंकन रूपया 3,861/- श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा कोषागार बुलन्दशहर में जमा की जाये।

(पंकज कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
26.06.2023

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, प्रयागराज।
3. श्रीमान् महानिबन्धक, मा10 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. लेखानुभाग, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
5. जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।
6. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
7. कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर को समायोजन हेतु शेष धनराशि अंकन 3,861/- कोषागार में जमा किये जाने के आशय से प्रेषित।

(पंकज कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
26.06.2023

Pankaj Kumar Slogb
District Judge
Bulandshahr

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
..... State Bank of India Bulandshahr
2. पता
..... श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी - II
..... अपर. जि. ए. स. स. स्यायाधीश
..... बुलन्दशहर
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
..... चिकित्सा आयोग का अनुदान
..... समाभोजन के परचान शेष धनराशि
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
..... (23,75,000 - 23,71,139 = 3861/-)
5. चालान की सकल राशि
..... Rs 3861 = 00
6. चालान की निबल राशि
..... Rs 3861 = 00
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :
8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0070	01	800	13	00	3861

धनराशि (शब्दों में) रु० तीन हजार आठ सौ अक्षर मात्र
योग 3861

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाली
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
जनपद स्यायाधीश
बुलन्दशहर

es. d. d.
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

Add. Distt & Sessions Judge
Fast Track Court-01 Bulandshahr

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :
दिनांक :

अंकों में रु०
शब्दों में रु०

भारतीय स्टेट बैंक (00624)	
सरकारी बचकड़ प्राप्त	
चालान संख्या-0506/01/	
28 JUN 2023	Deposit Date
रु० (अंकों में) 3861	
रोकडिया	रोकड अधिकारी

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

